

कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक: उ0वि0शि0प0 / समन्वय-स0प0 / 004-140/2024-25 दिनांक 08 मई, 2024

:: विज्ञप्ति ::

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाफल सुधार परीक्षा वर्ष 2024 (प्रथम) एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा वर्ष 2023 (तृतीय) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए सूचना

उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या : RTI-312/XXIV-4-2023-01(01) 2016 TC, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 26 मई 2023 में संलग्न अधिसूचना संख्या : 311/XXIV-4-2023-01(01)2016 TC दिनांक 26 मई, 2023 के द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् परिष्कार विनियम 2023" में वर्णित प्राविधानों के क्रम में इस परिषद् द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा 2024 में परीक्षाफल सुधार का आयोजन प्रस्तावित है।

- अर्हता : क. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल (कक्षा 10) अथवा इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) की परिषदीय परीक्षा 2024 में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा-
 - जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में सम्मिलित हुआ हो तथा अनुत्तीर्ण हुआ हो या परीक्षाफल सुधार परीक्षा (द्वितीय) वर्ष 2023 में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

अथवा

जो परीक्षार्थी किसी विषय की मुख्य परीक्षा के प्रयोगात्मक/आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो किन्तु सैद्धान्तिक भाग में चिकित्सीय अथवा अन्य किसी आकस्मिकता के कारण सम्मिलित न हो पाने के कारण वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

ii. परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किन्तु किसी विषय विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो और परीक्षाफल सुधार परीक्षा से अपने उस विषय/विषयों के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हो।

ख. परीक्षाफल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिये गये विषयों में से हाईस्कूल (कक्षा 10) स्तर अधिकतम दो विषयों एवं इण्टर (कक्षा 12) स्तर पर केवल एक विषय, जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक न प्राप्त कर पाया हो, का चयन कर सकेगा।

- परीक्षा शुल्क : हाईस्कूल इण्टरमीडिएट स्तर पर परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क एवं प्रमाण-सह-अंकपत्र शुल्क की दरें निम्नवत होंगी-


क्र. सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क (प्रति विषय/प्रश्नपत्र)		प्रमाण-सह-अंक पत्र शुल्क	प्रवर्जन प्रमाण-पत्र
		GEN, OBC	SC, ST & CWSN		
1	हाईस्कूल (कक्षा 10)	200.00	100.00	50.00	-
2	इण्टरमीडिएट (कक्षा 12)	300.00	150.00	50.00	50.00

नोट:- उक्त के अतिरिक्त व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से हाईस्कूल एवं इण्टर स्तर पर प्रति परीक्षार्थी ₹0 10.00 अग्रसारण शुल्क भी लिया जायेगा।

- आवेदन प्रक्रिया : परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थी आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क नकद विद्यालय में जमा करेगा। परीक्षार्थी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया ऑन-लाइन सम्पादित की जायेगी। परिषद् द्वारा कोई भी ऑफ-लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षा हेतु ऑन-लाइन आवेदन एवं शुल्क (राजकोष में ई-चालान के द्वारा जमा) विद्यालय के माध्यम से निम्न कार्यक्रमानुसार किया जाएगा।

क्र.सं.	विवरण	समयावधि
1	परीक्षाफल सुधार परीक्षा आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	08 मई 2024
2	परीक्षार्थी द्वारा विद्यालय में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	24 मई 2024
3	परीक्षार्थी द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	24 मई 2024
4	विद्यालय द्वारा शुल्क राजकोष में जमा करने की अंतिम तिथि	27 मई 2024
5	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	27 मई 2024

परीक्षा से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर उपलब्ध है।


सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।



पृ०सं०: पत्रांक: उ०वि०शि०प०/समन्वय/सु०प०/००४-१४० /2024-25 दिनांक उक्तवत ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, मा०शि०/सभापति उ०वि०शि०प० उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद/देहरादून/अल्मोड़ा को इस अनुरोध के साथ कि इस व्यापक लोक महत्व की सूचना/विज्ञप्ति को प्रादेशिक समाचारों के अन्तर्गत प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 6- अपर निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल/कुमायूँ, मण्डल पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त विज्ञप्ति का अपने जनपद में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
- 8- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा मुख शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त विज्ञप्ति का अपने विकासखण्ड में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक परीक्षार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
- 9- समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय माध्यमिक विद्यालय उत्तराखण्ड द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त समय सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया एवं शुल्क राजकोष में जमा करने की प्रक्रिया हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट मुख्य परीक्षा -2024 के समान ही होगी। विद्यालय मुख्य परीक्षा हेतु प्रदत्त आई०डी० एवं पासवर्ड से ही ऑन-लाइन प्रक्रिया सम्पादित कर सकेंगे। इस हेतु पृथक से विस्तृत निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
- 10-परिषद् के परीक्षा कार्य से जुड़े समस्त अनुभागों को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यक्रमानुसार यथा समय अपने अनुभाग से सम्बन्धित समस्त तैयारियां करना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित कार्यक्रमानुसार परीक्षा सम्पादित की जा सके।
- 11- सम्पादक,दैनिक हिन्दुस्तान/अमर उजाला/दैनिक जागरण/उत्तर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि यह विज्ञप्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड से सम्बन्धित व्यापक लोक महत्व की सूचना है अतः अपने लोक प्रिय समाचार पत्र में इस सूचना को जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में प्रमुखता से निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
- 12- सूचना सम्प्रेषण अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 13- कार्यालय पत्रावली।




सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।